बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

चिकित्सा पदाधिकारियों का आपसी वरीयता सूची

प्रस्तावना

राज्य स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के चिकित्सा पदाधिकारियों का आपसी वरीयता सूची का अन्तिम प्रकाशन विभागीय ज्ञापांक–171(3) दिनांक 08.2.2008 द्वारा किया गया था ।

2) स्वास्थ्य विभागीय ज्ञापांक 700(3) दिनांक 13.06.2008 द्वारा प्रोन्नत चिकित्सा पदाधिकारियों का आपसी पुनरीक्षित वरीयता सूची का प्रकाशन औपबंधिक रूप से किया गया है ।

3) सेवा निवृत्त, मृत, अन्तिम रूप से झारखंड आवंटित इत्यादि चिकित्सकों के नाम छोड़कर शेष चिकित्सकों की आपसी संशोधित वरीयता सूची का औपबंधिक रूप से प्रकाशन किया जाता है ।

4) विभागीय पत्रांक 871(17), 864(17), 865(17), 866(17), 867(17), 868(17), 869(17), 870(17) दिनांक 08.07.2008, पत्रांक 393(17), 394(17), 395(17), 396(17), 397(17), 398(17), 399(17), 400(17), 401(17), 402(17), 403(17) दिनांक 25.03.2008 तथा 421(17), 420(17) दिनांक 27.03.2008 द्वारा राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के विभिन्न विभाग के चिकित्सक शिक्षकों की संयुक्त अन्तिम वरीयता सूची का प्रकाशन किया गया है । उक्त वरीयता सूची में जिन चिकित्सकों के बारे में कम्प्यूटर से जानकारी प्राप्त हुआ उसका नाम संलग्न आपसी वरीयता सूची से नाम हटा दिया गया । यदि भविष्य में चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के कोई शैक्षणिक सम्वर्ग के चिकित्सक इस वरीयता सूची में पाये जायेंगे तो उनका नाम विलोपित कर दिया जायेगा ।

5) वरीयता सूची के कॉलम 3, 4, 5 एवं 6 में कई चिकित्सकों के सम्बंध में गृह जिला, जन्म तिथि, प्रथम योगदान की तिथि की सूचना नहीं है । अतः सम्बंधित चिकित्सकों एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी से अनुरोध है कि विभाग को इसकी सूचना साक्ष्य के साथ अविलम्ब उपलब्ध करायी जाय

6) विज्ञापन संख्या 93/98 के आधार पर नवनियुक्त 273 चिकित्सकों का नाम भी इस वरीयता सूची के अन्तिम पृष्ठों पर क्रमांक 6281 तक के सूची में शामील किया गया है ।

7) इसमें कोई त्रुटि पाये जाने पर या माननीय उच्च न्यायालय का अन्यथा कोई आदेश होने पर अथवा स्वास्थ्य विभाग शैक्षणिक स्थापना से शैक्षणिक सम्वर्ग के चिकित्सकों का जन्म तिथि इत्यादि प्राप्त होने पर इसमें संशोधन किया जायेगा ।

8) यदि इस वरीयता सूची के आलोक में किसी चिकित्सा पदाधिकारियों को कोई आपत्ति हो तो वरीयता सूची प्रकाशन के दो माह के अन्दर संलग्न विहित प्रपत्र में सभी कंडिका भरकर नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से सभी साक्ष्यों के साथ आपत्ति पत्र अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे एवं प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लेंगे । 01.04.2010 को स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग में पदस्थापित/कार्यरत चिकित्सकों को अनिवार्य रूप से यह निर्देश दिया जाता है कि उक्त औपबंधिक रूप से प्रकाशित वरीयता सूची के आलोक में अपना पूर्ण सेवा इतिहास आपत्ति प्रपत्र के साथ नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से दो माह के अन्दर उपलब्ध कराया जाय यदि 01.04.2010 को नियमित रूप से कार्यरत किसी चिकित्सक का इस औपबंधिक वरीयता सूची में नाम नहीं है तो उनका नाम वरीयता सूची में कहाँ आना चाहिए सम्बंधित सभी अभिप्रमाणित साक्ष्य के साथ नियंत्री पदाधिकारी से निर्धारित अवधि में निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे । 01.04.2010 को पदस्थापित/कार्यरत चिकित्सकों से यदि निर्धारित अवधि तक पूर्ण सेवा इतिहास नहीं आता है तो यह माना जायेगा कि वे सरकारी सेवा में नही है, तदुपरान्त इस आधार पर औपबंधिक वरीयता सूची से उनका नाम हटा दिया जायेगा, इसके लिए सम्बंधित चिकित्सा पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे । निर्धारित समय के बाद प्राप्त आपत्ति पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। इसके साथ आपत्ति प्रपत्र एवं औपबंधिक वरीयता सूची संलग्न है।

9) उक्त वरीयता सूची बेवसाईट–www.statehealthsocietybihar.org पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड कर (download) के व्यवहार में लाया जा सकता है ।

13.5.10

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–3/क्यू.–1–4/2007–(पार्ट–I)– 405(3) पटना, दिनांक 13/05/20

प्रतिलिपिः, मुख्य सचिव, बिहार, पटना के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग/कल्याण विभाग/गृह (कारा)विभाग/गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना/आरक्षी महानिदेशक, बिहार, पटना/महानिरीक्षक(कारा)/महानिरीक्षक अभियोजन, बिहार, पटना/निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निदेशालय, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ,/बिहार राज्य के सभी सिविल सर्जन/अधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया/लेडी एलगीन जनाना अस्पताल, गया/निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना/यक्ष्मा प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, पटना एवं दरभंगा/क्षेत्रीय मलेरिया पदा0, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं पटना/सहायक निदेशक, फाईलेरिया/अधीक्षक, संक्रामक रोग अस्पताल, पटना/प्राचार्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, पटना, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर/ अधीक्षक, सेनेटोरियम, कोईलवर, भोजपुर/ राज्य स्वास्थ्य शिक्षा पदाधिकारी, पटना/अधीक्षक राज्य स्वास्थ्य भंडार, पटना/बिहार राज्य स्थित सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य एवं अधीक्षक/अधीक्षक जय प्रभा अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी चिकित्सा पदाधिकारियों को उससे अवगत कराने की कृपा की जाय ।

प्रतिलिपिः, प्रशाखा पदाधिकारी–प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 9, 10 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार के सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13.5.10
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–3/क्यू.–1–4/2007–(पार्ट–I)– 405(3) पटना, दिनांक 13/05/2010

प्रतिलिपिः, महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को उक्त प्रस्तावना के सी0डी0 के संलग्न करते हुए अनुरोध है कि "प्रस्तावना" का प्रकाशन बिहार राज्य के लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र अंग्रेजी एवं हिन्दी में लगातार एक सप्ताह तक प्रकाशित कराने की कृपा की जाय एवं उसका प्रेस कतरण/इंटिमेशन स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को यथा समय भेजने की कृपा की जाय ।

13.5.10
सरकार के संयुक्त सचिव

आपत्ति प्रपत्र

परिचारित आपसी वरीयता सूची का क्रमांक संख्या

1. चिकित्सा पदाधिकारियों का नाम एवं वर्तमान पदस्थापित स्थान –

2. स्थायी पता एवं दूरभाष संख्या –

3. सेवा में योगदान की तिथि –

4. जन्म तिथि –

5. गृह जिला –

6. प्रथम नियुक्ति की अधिसूचना (अधिसूचना की छाया प्रति) संख्या तिथि एवं प्रथम वेतन पूर्जी एवं प्रथम प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन को अभिप्रमाणित/मूल प्रति –

7. (I) वर्ष 2008 में परिचारित अन्तिम वरीयता सूची का क्रमांक –

   (II) वर्त्तमान् वरीयता (औपबंधिक) सूची का क्रमांक

8. आपत्ति का बिन्दु –

9. (क) यदि कोई प्रोन्नति लम्बित हो एवं उसके सम्बंध में आपत्ति का बिन्दु हो तो उसके लिए पूर्ण सेवा इतिहास, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने का साक्ष्य, प्रथम वेतन पर्ची या प्रथम प्रभार रिपोर्ट की सत्यापित प्रति, सेवा निवृत्त मामले में विभाग से स्वीकृत पेन्शन का पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है

   (ख) लम्बित/पद सुरक्षित मामलों में प्रोन्नति का वेतनमान

   (ग) यदि सेवा इतिहास के अनुसार कोई अवधि अवनियिमत हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाय

   (घ) यदि पूर्व में कोई दंड/सजा दी गयी हो तो उसका अभिप्रमाणित साक्ष्य आरोप के वर्ष के साथ दिया जाय

10. अपने कथन को सम्पुष्टि में संलग्न अभिलेखों की सूची, अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ –

11. अन्यान्य –

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरणी सही है तथा यदि भविष्य में गलती पायी जायेगी तो सरकार मेरे विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी ।

चिकित्सा पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नियंत्री पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर